GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

No.E(MPP)89/13/4 New Delhi, dated: 16.6.1994.

The General Manager,
North Eastern Railway, Gorakhpur.
Southern Railway, Madras.
South Central Railway, Secunderabad.
South Eastern Railway, Calcutta.
Western Railway, Bombay.

Sub:-Monetary incentive in the form of Training Allowance to Faculty Members employed in Group 'C' Technical Training Centers.

....

Kindly refer to this Ministry's letter No.E(MPP)91/13/3, dated 25.2.94 regarding grant of 15% Training Allowance to 10 Group 'C' Training Centers mentioned therein from 1.1.94. It has inter-alia been stipulated in these instructions that the admissibility of the allowance in each individual case will be examined by a committee at the appropriate level to be constituted by the General Manager in consultation with FA&CAO. These Committees will screen the existing incumbents drawn on deputation and the trainers not recommended by the Committee should be repatriated to their respective parent cadres.

2. In consultation with Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Deptt. of Personnel & Training), it is clarified that until such time the screening is done and the Faculty Members not found fit are are repatriated to their respective parent cadres, such persons who have worked as Faculty Members on deputation may be allowed Training Allowance from the date of joining or 1.1.94, whichever is later, till the date of reversion. Training Allowance to other Trainers who have been found fit after screening shall be regulated in terms of Board's letter dated 25.2.94.

3. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(PANI RAM)
Jt. Director, Estt.(RRB)
Railway Board.

Contd. ...2...

No.E(MPP)89/13/4 New Delhi, dated 16.6.1994.

Copy forwarded to ADAI(Rlys) for information, NewDelhi. (With 40 spares).

For Financial Commissioner/Rlys.

No.E(M))
No.E(MPP)89/13/4 New Delhi, dated 16.6.1994.

1. FA&CAO of NER, SR, SCR, SER & WR.

(PANI RAM)
Jt. Director, Estt. (RRB)
Railway Board.

No.E(MPP)89/13/4 New Delhi, dated 16.6.1994.

Copy forwarded for information to:

1. General Secretary/NFIR, New Delhi. (With 40 spares).
2. General Secretary/AIRF, New Delhi. (With 40 spares).
3. Members of National Council/Departmental Council.

For Secretary/Railway Board.

Copy to:

ADV(MS), Secretary, Director(MPP), E(NG)I, E(NG)II, E(TRG), E(P&A)I, E(P&A)II, FE-III, PC-IV and F(E) II(with5spares).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(एम•पी•पी•)89/13/4 नई दिल्ली, दिनांक: 16•6•94•

महाप्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
दक्षिण रेलवे, मद्रास ।
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद ।
दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता ।
पश्चिम रेलवे, बम्बई ।

विषय:-ग्रुप "सी" तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र में नियोजित संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन ।

=====

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 25•2•94 के पत्र सं0 ई(एम•पी•पी•)91/13/3, का अवलोकन करें जो उसमें उल्लिखित 10 ग्रुप "सी" प्रशिक्षण केंद्र को 1•1•94 से 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के संबंध में है । इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ साथ यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में भत्ते की स्वीकार्यता की जांच उपयुक्त स्तर की एक समिति द्वारा की जाएगी जो महाप्रबन्धक द्वारा वि•स• एवं मु•ले•अ• के साथ परामर्श करके गठित की जाएगी । ये नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति पर लिए गए मौजूदा पद-धारियों की स्क्रीनिंग करेगी और समिति द्वारा जिन प्रशिक्षकों की सिफारिश नहीं की जाती है उन्हें उनके अपने-अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए ।

2• कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के साथ परामर्श करके यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक स्क्रीनिंग नहीं की जाती है और उपयुक्त न पाए गए संकाय सदस्यों को उनके अपने-अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर संकाय सदस्यों के रूप में कार्य किया है, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख या 1•1•94 से, जो भी बाद में हो, प्रत्यावर्त्तन की तारीख तक प्रशिक्षण भत्ता दिया जा सकता है । स्क्रीनिंग के बाद उपयुक्त पाए गए अन्य प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता बोर्ड के 25•2•94 के पत्र के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

3• इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है तथा रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(पन्नी राम)
संयुक्त निदेशक, स्था0 (रे•भ•बो•)
रेलवे बोर्ड•

जारी••••2••••

सं0 ई(एम•पी•पी•(89/13/4 नई दिल्ली, दिनांक 16•6•94•

प्रतिलिपि 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित भारत के अपन उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे (नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं0 ई(एम•पी•पी•(89/13/4 नई दिल्ली, दिनांक 16•6•94•

वि•आ• एवं मु•ले•अ• पूर्वोत्तर, दक्षिण, दक्षिण-मध्य, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम रेलवे ।

(पानी राम(
संयुक्त निदेशक, स्था•(रे•भ•बो•(

सं0 ई(एम•पी•पी•(89/13/4 नई दिल्ली, दिनांक: 16•6•94•

1• जनरल सेक्रेटरी, एन•एफ•आई•आर•, नई दिल्ली,
(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित(

2• जनरल सेक्रेटरी, ए•आई•आर•एफ•, नई दिल्ली,
(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित(

3• मेम्बरस ऑफ नेशनल काउनसिल/डिपार्टमिन्टल काउनसिल ।

के सुब्रमण्यन
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:-

सलाहकार(प्रबंध -सेवाएं(, निदेशक (एम•पी•पी•(, ई(एन•जी•(I, ई(एन•जी•(I, ई(ट्रेनिंग(, ई(पी एंड ए(I, ई(पी एंड ए(II, एफ•ई•-III, पी•सी•-4, और एफ•ई-2 (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित(।